



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम हुक्म की ता में जारी हु
<p>15/7/19</p> <p>अपील नं- 4/19</p> <p>सुरेन्द्र</p> <p>अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>(वकील अपील नं- 4/19)</p>  <p>राजस्व अपील प्राधिकारी वाड़मेर</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। इसमें पक्ष में से सभी अपील नं. 1 व 3 तथा सेपेरेट नं. 1, 9, 10, 12, 13, 14, 18/2, 18/4, 18/5, 19/1 तथा 19/2 उपस्थित हैं। अपील नं. 1 की शिकायत के अन्तर्गत श्री प्रदीप नं. 0 प्रेशान न की साथ ही I.D से भी शिकायत पुरखाने की गई। इसी तरह अपील नं. 3 की शिकायत की पुरखाना पहचान करने हेतु प्रत्येक I.D प्रॉफ, जिनका विवरण संलग्न प्रत्येक अपील नं. की तस्दीक तहरीर पर स्पष्ट किया गया है, संकलित नहीं है। इसमें पक्ष द्वारा, एक राजीनामा अपील नं. 1 की शेर से प्रत्युत्पन्न हुआ, इसे अपने हस्ताक्षर/हस्ताक्षर निशानों के बिना प्रेषित किया गया है जिसे वाकफ/तस्दीक/सत्यापन किया जाएगा इस पर इन: हस्ताक्षर/हस्ताक्षर निशानों के बिना प्रेषित नहीं होगा।</p> <p>राजीनामा इस प्रकार है - "प्रद राजीनामा देने पक्षों ने लोक अदालत की प्राप्ति तक से प्रेरित होकर अपने प्रथम के विवादों का निस्तारण करने हेतु मौजूद व्यक्तियों की समझौता से होगा कि - आदि सोच समझ कर बिना किसी देना दबाव व बिना किसी असम्भव कारण के तदुपस्थिति की शर्त में एक नमूना कर अपने हस्ताक्षर/हस्ताक्षर निशानों के बिना प्रेषित कर दिया है।</p> <p>एक राजीनामा के बिंदु 3 व 4 महत्वपूर्ण एवं विवाद शान्त की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। बिंदु सं-3 - "अपील नं. 1 मोता मोखड़ी के खेत ख. नं. 198/157 रकबा 6.03 बीघा के प्रथम में शेर खेत के 1/2-1/2 भाग काटने हुए 7 (सात) बिस्वा शमी रास्ता में राज्य सरकार के नाम दर्ज करवाने पर सहमत हैं, जिनमें ख. नं. 198/157 में संलग्न नक्शा अनुमा न भाग 2-18 बीघा, 2-18 बीघा एवं इसके प्रथम 7 बिस्वा में कुल रास्ता दर्ज करवाने पर दोनों पक्षों सहमत हैं; इसलिए इसी अनुमा रास्ता दर्ज करावे।"</p> <p>बिंदु सं-4 - "इस रास्ते का अपील नं. 1 व इतरदाता दोनों का वागमन के लिए उपयोग कर लेंगे, साथ ही इस रास्ते वाकफ अथ अपील नं. 1 के इतरदाता से कोई रकम प्राप्त नहीं कर अनहित में रास्ता संप्रति किया है, जिसे दोनों पक्षों सहमत हैं।"</p>	<p>सेपेरेट पक्ष</p> <p>1 केशव राम</p> <p>2 शम चंद्र</p> <p>3 शोभा</p> <p>4 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>5 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>6 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>7 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>8 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>9 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>10 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>11 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>12 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>13 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>14 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>15 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>16 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>17 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>18 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>19 अ.नि. अपील नं- 4/19</p> <p>20 अ.नि. अपील नं- 4/19</p>

प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाता है।
राजीनामा के आधार पर डीपील डीपीलाइट
आंशिक स्वीकार कर डीपीलाधीन आदेश दि०
17-5-2019 में आंशिक संशोधन करते हुए
निम्नलिखित समुचित आदेश दिये जाते हैं कि
" मौजा मौखण्डी के ख. नं० 198/157 रकबा
6-03 बीघा में से 12 फीट चौड़ाई का
रास्ता रकबा 07 (सात) बिस्वा प्रस्तुत राजीनामा
दि० 15/11/19 मुताबिक और इसके संलग्न नजरी
नक्शा में इंगित A से B वरंग लाल
इकत खमेरे को दो वराकर-2 भागों में
(प्रत्येक भाग का रकबा 2.18 बीघा रहते हुए)
विभक्त करते कीचौकीय प्रदान किया जाता है।
तहसीलदार समझी तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड
में राज्य सरकार के हक में जे० मु० रास्ता
का अमल दरामद नर अन्विलेख की बकलों
व्यति पालना उचित करे।"

पत्रावली जैतल शुमार लोक नंकर से
कम हो। बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।


राजस्व अपील प्राधिकारी
वाडमेर



सेवामें.

प्रमाणित
श्रीमान एस.डी.ओ. साहब सिवाना
पेश किया 17/05/19

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

अपीलांतगण

धमेन्द्र वगैरा

बनाम

उतरदातागण

केसाराम वगैरा

रा.अ.सं. : 29/2019

राजीनामा

राजीनामा हम अपीलांत धर्मेन्द्र, सुरेश उर्फ सुरेन्द्र कुमार पिसरान अमराराम, चुकी देवी पत्नि अमराराम जातियान मेघवाल निवासी समदड़ी हाल मोखण्डी तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर व उतरदाता केसाराम पुत्र देवाराम, रामचन्द्र पुत्र कोलाराम, शेषाराम पुत्र मिसराराम, भूराराम पुत्र किशनाराम, सोनाराम, भंवरलाल सेसाराम पिसरान उमाराम, चम्पालाल, मालाराम, दिनेश पिसरान पूनमाराम जीताराम, मोटाराम पिसरान कानाराम जातियान मेघवाल निवासीयान राणी देशीपुरा तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर निम्न प्रकार से निष्पादित करते हैं कि :-

1. कि अपीलांत की खातेदारी भूमि मौजा मोखण्डी, पटवार हल्का राणी देशीपुरा, तहसील समदड़ी जिला बाड़मेर में खेत खसरा नम्बर 198/157 रकबा 6.03 बीघा भूमि का अवस्थित हैं एवं उतरदातागण चम्पालाल की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 176 रकबा 138.08 बीघा में जाने हेतु 12 फीट चौड़ाई का रास्ता पाने हेतु राजस्व आवेदन संख्या 7/19 श्रीमान एस.डी.ओ. साहब सिवाना में पेश किया, जिसमें दिनांक 17.05.2019 को रास्ता प्रदान करने का आदेश श्रीमान एस.डी.ओ. सिवाना ने पारित किया, जिसके विरुद्ध अपीलांत द्वारा यह अपील श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

रिपोर्ट

डि.पि. सिवाना

डि.पि. डी.ओ. सिवाना

डि.पि. डी.ओ. सिवाना

2/5/2018

धर्मेन्द्र सुरेन्द्र

डि.पि. जीताराम

डि.पि. चुकी देवी

2. कि अपील विचाराधीन रहने के दौरान अपीलांत व उत्तरदाता के मध्य मौजीज व्यक्तियों द्वारा समझाईश कर एवं अपीलांत के पिता/पति अमराराम द्वारा रास्ता देने का कथन करने के तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलांत ने उत्तरदातागण को उनके द्वारा बार-बार किये निवेदन को ध्यान में रखते हुए रास्ता देना तय किया है।
3. कि अपीलांत के मौजा मोखण्डी पटवार हल्का राणी देशीपुरा के खेत खसरा नम्बर 198/157 रकबा 6.03 बीघा के मध्य में मूल खसरे के 1/2 - 1/2 भाग करते हुए 7 बिस्वा भूमि रास्ता में राज्य सरकार के नाम दर्ज करवाने पर सहमत होकर संलग्न पेश नक्शा में मार्क ए से बी भाग रास्ता हेतु सहमत हैं, जिसमें खसरा नम्बर 198/157 में संलग्न नक्शा अनुसार दो भाग 2.18 - 2.18 बीघा एवं इनके मध्य 7 बिस्वा गै.मु. रास्ता दर्ज करवाने पर दोनों पक्षकार सहमत हैं, इसलिये इसी अनुसार रास्ता दर्ज करावें।
4. कि उक्त रास्ते का अपीलांत व उत्तरदाता दोनों आवागमन के लिए उपयोग कर सकेंगे, साथ ही इस रास्ते बाबत अब अपीलांत ने उत्तरदाता से कोई रकम प्राप्त नहीं कर जनहित में रास्ता समर्पित किया है, जिससे दोनों पक्षकार सहमत हैं।

लिहाजा यह राजीनामा दोनों पक्षों ने लोक अदालत की पावन भावना से प्रेरित होकर अपने मध्य के विवादों का निस्तारण करने हेतु मौजीज व्यक्तियों की समझाईश से अपना हित-अहित सोच समझ कर बिना किसी बेजा दबाव व बिना किसी असम्यक असर के तन्दुरस्ती की स्थिति में पढ सुन समझ कर अपने हस्ताक्षर / अंगुष्ठ निशान कर निष्पादित कर दिया है।

इति दिनांक : 15.07.2019

मामपुर
अपाराम

अ.नि.
अपाराम

अ.नि.
अपाराम

श्रीम राम
श्रीम 12

अ.नि.
अपाराम

अपाराम

अ.नि.
अपाराम

मालाराम
अपाराम

जीताराम

पेजसः २

